रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062020-219729
CG-DL-E-04062020-219729

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2020/ज्येष्ठ 14, 1942
No. 267] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2020/JYAISHTHA 14, 1942

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली 3 जून, 2020

सा.का.नि.346(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 129 और रेल यात्री (अनपेक्षित घटनाओं के अन्वेषण की रीति) नियम, 2003 का अधिक्रांत करते हुए उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रांत करते हुए अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :–

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल यात्री (अनपेक्षित घटनाओं के अन्वेषण की रीति) नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुए समझें जाएंगे ।

2 परिभाषाएं: – (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(क) "अधिनियम" से रेल अधिनियम; 1989(1989 का 24) अभिप्रेत हैं ;

(ख) "दावा अधिकरण" से रेल दावा अधिकरण अधिनयम; 1987 के अधीन गठित अधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) "डायरी" से ऐसी स्टेशन डायरी अभिप्रेत है जो स्टेशन पर घटी दैनिक घटनाओं को अभिलिखित करने के लिए स्टेशन अधीक्षक द्वारा रखी जाती है;

(घ) "प्रभागीय कार्यालय" से आंचलिक रेल का प्रभागीय मुख्यालय अभिप्रेत है;

(ङ) "प्रभागीय रेल प्रबंधक" से प्रभागीय कार्यालय का प्रशासनिक भारसाधक या उनके द्वारा नाम निर्देशित अतिरिक्त प्रभागीय रेल प्रबंधक अभिप्रेत है;

(च) "प्रभागीय सुरक्षा आयुक्त" से कमांडेट पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का ऐसा अधिकारी जो किसी प्रभाग या रेल से संबंध किसी अन्य स्थान पर किसी रेल स्थापन का प्रधान है; अभिप्रेत है;

(छ) "बल" से रेल संरक्षण बल अभिप्रेत है;

(ज) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(झ) "समीक्षा रिपोर्ट" से पुलिस द्वारा तैयार की गई घटना के ब्यौरों से युक्त रिपोर्ट अभिप्रेत है;

(ञ) "जामा तलाशी" से अनपेक्षित घटना से प्रभावित व्यक्ति के किसी मालअसबाब की वसूली के बारे में रिपोर्ट अभिप्रेत है;

(ट) "बल के अधिकारी" से रेल संपत्ति (विधि विरूद्ध कब्जा) अधिनियम; 1966 (1966 का 29) की धारा 2 के खंड (ग) और रेल अधिनियम; 1989 (1989 का 2) की धारा 2 के खंड (26क) में यथा परिभाषित प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;

(ठ) "पुलिस" से राज्य पुलिस अभिप्रेत है;

(ड) "स्टेशन अधीक्षक" के अंतर्गत उप स्टेशन अधीक्षक; स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर या स्टेशन का भारसाधक अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;

(ढ) "अनपेक्षित धटना" से अधिनियम की धारा 123 के खंड(ग) के अधीन परिभाषित कोई धटना अभिप्रेत है; और

(ण) "ऑचलिक रेल" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित कोई आंचलिक रेल अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के; जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित है; क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में है ।

(3) अनपेक्षपित घटना के बारे में रिपोर्ट – कोई रेल सेवक, जिसके अंतर्गत बल के सदस्य, गाड़ी का गार्ड और चालक भी हैं, अनपेक्षपित घटना की जानकारी मिलने पर, निकटतम मास्टर/ रेल स्टेशन अधीक्षक को तत्काल घटना की रिपोर्ट करेगा ।

(4) स्टेशन अधीक्षक, गार्ड, संवाहक और गाड़ी का भारसाघक गाड़ी टिकट परीक्षक के कर्तव्य – (1) यदि स्टेशन पर कोई अनपेक्षित घटना घटती है तो संबंध स्टेशन अधीक्षक आहत यात्रियेां की चिकित्सीय सहायता के लिए तत्काल इंतजाम करेगा और ऐसी घटना की रिपोर्ट घटित होने के चौबीस धंटे के भीतर **प्ररूप-1** में प्रभागीय सुरक्षा आयुक्त को देगा ।

प्ररूप-1

(2) यदि सेक्शन के मध्य में कोई अनपेक्षित घटना घटती है तो संबंध गाड़ी का गार्ड निकटतम स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा जो उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कतव्यों को पालन करेगा ।

(3) यदि अनपेक्षित घटना में गार्ड आहत हो जाता है तो संबंध गाड़ी का संवाहक निकटतम स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक को सूचित करेगा जो उप-नियम (1) के निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करेगा ।

(4) यदि गार्ड और संवाहक दोनेां अनपेक्षित घटना में आहत हो जाते है तो भारसाधक गाड़ी टिकट परीक्षक संबंध गाड़ी का संवाह निकटतम स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक को सूचित करेगा जो उप-नियम (1) के निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करेगा ।

(5) यदि उप-नियम (2); उप-नियम (3) और उप-नियम (4) में उल्लिखित अधिकारियों की अनुपस्थिति में स्टेशन के मध्य में कोई घटना घटती है तो स्टेशन का अधीक्षक उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करेगा ।

IndiaCode

5 . स्टेशन अधीक्षक के अतिरिक्त कर्तव्य- नियम 3 के अधीन किसी अनपेक्षित घटना के होने बारे मे स्टेशन अधीक्षक; -

(i) अनपेक्षित घटनाओं की रिकॉर्डिंग के लिए एक अलग अनन्य रजिस्टर बनाए रखना

(क) प्रत्येक अनपेक्षित घटना की एक विशिष्ट पहचान संख्या सौंपना और इस विशिष्ट पहचान संख्या के सामने उक्त रजिस्टर में अनपेक्षित घटना का उल्लेख करें।

(ख) अनपेक्षित घटना रजिस्टर को हर दिन 23:59 बजे बंद कर दिया जाना चाहिए जिससे बाद में होने वाली अनपेक्षित घटना को उस दिन के सामने रजिस्टर में जोड़ा जा सके।

(ii) अनपेक्षित घटना के मौके के बारे में एक संक्षिप्त रिपोर्ट करे और उसकी प्रतियाँ प्रभागीय कार्यालय; क्षेत्रीय रेलवे; पुलिस और बल के प्रभागीय सुरक्षा आयुक्त को दें।

(iii) प्रभागीय वाणिज्यिक प्रबंधक प्रभारी/वरिष्ठ प्रभागीय वाणिज्यिक प्रबंधक को नियम 4 के अनुपालन सहित अनपेक्षित घटनाओं की प्रास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

6. बल द्वारा अन्वेषण किया जाना और उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करना – (1) नियम 6के अधीन सूचना प्राप्त होने पर; बल का अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो अन्वेषण करेगा, और

(i) घटना का अन्वेषण करने वाली पुलिस से मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट ग् शव- परीक्षण रिपोर्ट और जामा तलाशी ररिपोर्ट की प्रतियां अभिप्राप्त करेगा;

(ii) नियम 5 के खंड (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करेगा;

(iii) अनपेक्षित घटना के बारे में प्रारूप-2 में सूचना अभिप्राप्त् करेगा;

(iv) अतिरिक्त साक्षियों के कथन यदि ऐसा अपेक्षित हो तो अभिलिखित करेगा;

(v) मामले की परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य साक्ष्य एकत्रित करेगा ।

(2) बल का अधिकारी अन्वेषण की साठ दिन की अवधि के पूरा हो जाने पर नियम 9 के उप नियम 2के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

7. पुलिस द्वारा अन्वेषण किया जाना और उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करना: (1) पुलिस को साधारण जनता या स्टेशन अधीक्षक सहित किसी भी रेलवे सेवक से किसी अनपेक्षित घटना की सूचना मिलने पर, पुलिस तुरंत जाँच शुरू करेगी और दंड प्रक्रिया संहिता; 1973 में अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार समीक्षा रिपोर्ट या क्षति रिपोर्ट तैयार करेगी ।

(2). किसी अनपेक्षित घटना के घटनास्थल पर पहुँचने पर पुलिस निकटतम / संबंधित स्टेशन अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन पर या घटना के स्थल पर या एसएमएस या अपनी उपस्थिति के किसी प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचित करेगी। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पटरियों / साक्षियों (एस) / आसपास खड़े लोंगों के साथ शव/ पीड़ित के साथ घटना की तस्वीरें लेगी।

(3) पुलिस उप-नियम (1) और उप नियम (2) में यथा वर्णित रिपोर्ट तैयार हो जाने पश्चात् घटना स्थल से गाड़ियों के संचलन के लिए तत्काल निकासी प्रमाण पत्र देगी जिससे गाड़ी संचलन के पुन:स्थापन में न्यूनतम विलंब हो ।

(4) पुलिस विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) तैयार करेगी और प्रभागीय रेलवे प्रबंधक को प्रस्तुत करने के लिए अनपेक्षित घटना की तारीख से 60 दिनों के भीतर उनकी एक प्रति प्रभागीय सुरक्षा आयुक्त/ वरिष्ठ प्रभागीय सुरक्षा आयुक्त को सौंपेगी।

(5) उपरोक्त नियम 7 के उप-नियम (2) के अधीन फोटो लेने में पुलिस के विफल होने की स्थिति में, संबंधित डीसीपी यह जाँच करेगा कि तस्वीरें क्यों नहीं ली गई और क्या चूक के लिए कोई कार्रवाई की गई है।

8. आहत यात्रियों के निकट संबंधी पुलिस के समक्ष सभी सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेंगे और अन्वेषण को पूरा करने में पुलिस तथा बल की सहायता कर सकेंगे ।

9. पुलिस और बल द्वारा अन्वेषण रिपोर्ट भेजना:- (1) । अन्वेषण पूरा हो जाने पर, पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता,1973 (1974 का 2) के अधीन यथापेक्षित मजिस्ट्रेट को उसकी रिपोर्ट भेजेगी।

IndiaCode

(2) बल का अधिकारी नियम 6 के उप-नियम (2) के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट बल के प्रभागीय सुरक्षा आयुक्त को भेजेगा ।

(3) प्रभागीय सुरक्षा आयुक्त बल के अधिकारी से जांच की रिपोर्ट मिलने के पंद्रह दिनों के भीतर प्रभागीय रेलवे प्रबंधक को रिपोर्ट सौंपेंगे।

(4) प्रभागीय सुरक्षा आयुक्त यह भी सुनिश्चित करेंगे कि गृह मंत्रालय द्वारा परिचालित प्रारूप में पुलिस द्वारा तैयार की गई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट की एक प्रति (सीएस डिवीजन) पत्र क्रमांक 24013/35 / विविध / 2017 सीएसआर; .II तारीख 02.09.2019 द्वारा पुलिस को प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर और तथ्यों का पता लगाने के बाद और प्ररूप -2 के साथ-साथ मामले के तथ्यों की वास्तविकता की पुष्टि करने के लिए प्रभागीय रेलवे प्रबंधक को भेज दिया जाता है।

10. प्रभागीय रेल प्रबंधक द्वारा रिपोर्ट पर कार्रवाई – (1) प्रभागीय रेलवे प्रबंधक रिपोर्ट मिलने पर; नियम 9 उप-नियम के उप-नियम (3) में उल्लिखित पंद्रह दिनों के भीतर जांच करेगा।

(2). प्रभागीय रेलवे प्रबंधक, रिपोर्ट प्राप्त होने पर; नियम 9 के उप-नियम (3) में उल्लिखित पंद्रह दिनों के भीतर जांच करेगा । ऐसे मामले में, प्ररूप -1 और प्ररूप -2 दाखिल करने के नियमों में उल्लिखित कानूनी समय अवधि का पालन नहीं किया गया है; तो प्रभागीय रेलवे प्रबंधक,संबंधित प्राधिकारियों से देरी के लिए स्पष्टीकरण मांगेगा।

(3). जब जांच किए जाने पर, प्रभागीय रेल प्रबंधक का यह समाधान हो जाता है कि अन्वेषण पूरा हो गया है तब वह उक्त रिपोर्ट स्वीकार करते हुए आदेश पारित करेगा ।

(4). यदि प्रभागीय रेल प्रबंधक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि मामले में कुछ और जांच अपेक्षित है तो वह उसे और अन्वेषण के लिए अपने सप्रेक्षणों सहित बल के अधिकारी को अन्वेषण के लिए इसे वापस निर्दिष्ट करेगा ।

(5). उप-नियम (3) के अधीन किसी निर्देश के प्राप्त होने पर, बल का अधिकारी मामले का और अन्वेषण करेगा तथा प्रभागीय रेल प्रबंधक को तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

11. आदेश की संसूचना :- प्रभागीय रेल प्रबंधक द्वारा रिपोर्ट परपारित अंतिम आदेश स्टेशन अधीक्षक को संसूचित किए जाएंगे जो अभिलेख रखेगा और स्टेशन डायरी में इस आशय की आवश्यक प्रविष्टियां करेगा ।

12. दावा कार्यालय को रिपोर्ट का भेजना:- (1) प्रभागीय रेल प्रबंधक की अन्वेषण रिपोर्ट उस पर जोनल रेलवे के दावा कार्यालय के प्रशासनिक प्रभारी को पंद्रह दिन के भीतरभेजी जाएगी जहां ऐसी अनपेक्षित घटना हुई है।

(2) जोनल रेलवे के दावा कार्यालय के प्रशासनिक प्रभारी को उस विशेष घटना के लिए दावे का नोटिस प्राप्त हुआ है; रेलवे के दावा कार्यालय से रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था करेगा जहां पर घटना हुई है; शुरू में होगी प्रस्तुत अधिकारी (रेलवे दावा अधिकरण) और संबंधित कानूनी शाखा और उनके प्रस्तुत करने के आधार पर जांच की गई है; और नियम 10 के उप-नियम (3) के अधीन यथा उपबंधित प्रभागीय रेलवे प्रबंधक की सिफारिश के अनुसार और एक बोलने का आदेश पारित किया है; क्या दावा स्वीकार होने या लड़ने के लिए और लिखित कथन के साथ रेलवे दावा अधिकरण की संबंधित खंडपीठ को प्रस्तुत करना होगा।

प्ररूप-1

(नियम 4 देखिए)

अनपेक्षित घटना की रिपोर्ट

1. अनपेक्षित घटना की विशिष्ट पहचान संख्या :

2. किलोमीटर जिस पर अनपेक्षित घटना घटी :

3. गाड़ी चालक का नाम, मुख्यालय सहित :

4. गाड़ी के गार्ड का नाम, मुख्यालय सहित :

IndiaCode

5. गाड़ी टिकट परीक्षक का नाम, यदि तैनात हो मुख्यालय सहित ;

6. अनपेक्षित घटना की प्रकृति ;

(क) दुर्घटनावश गिर जाना

(ख) बम विस्फोट

(ग) बलवा करना

(घ) गोली चलना

(ङ) आगजनी

(च) डकैती/लूट

(छ) हिंसक हमला

(ज) आतंकवादी कार्य/हमला

(झ) कुचल कर निकलना/अतिचार

(ञ) आत्महत्या

(ट) अन्य

7. घटना घटने का समय और तारीख ;

8. फोटो के साथ रेल पथ के सापेक्ष मृत मानव शरीर की स्थिति ;

9. क्या घायल/पीड़ितों को चिकित्सीय सहयता दी गई थी ;

10. क्या गाड़ी रोक दी गई थी या नहीं ;

11. दरवाजों की दशा और कोच का अधियोग ;

IndiaCode

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

तारीख :

** विशिष्ट पहचान संख्या बनाने के लिए; रजिस्टर में उल्लिखित स्टेशन/डिवीजन/जोन/वर्ष/माह/ घटना/क्रम संख्या का वर्णमाला और संख्यात्मक कोड एक निरंतर तरीके से लिखा है।

उदाहरण के लिए : यदि घटना उ.रे. रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन के अंतर्गत काठगोदाम स्टेशन के क्षेत्र के भीतर आती है और घटना अक्टूबर, 2017 के महीने में हुई है; तो विशिष्ट पहचान संख्या इस प्रकार होगी: केजीएम / 04305472 / आईज़ेडएन / एनईआर / 2017 / क्रमांक संख्या ।

प्ररूप-2

(नियम 6 देखिए)

अनपेक्षित घटना का संक्षिप्त विवरण

1. अनपेक्षित घटना की तारीख और समय :

2. अनपेक्षित घटनाओं की प्रकृति (कृपया निर्दिष्ट करें - (क) दुर्घटनावश गिर जाना, (ख) बम विस्फोट, (ग) बलवा, (घ) गोलीबारी, (ड़) आगजनी (च) डकैती / लूट, (छ) हिंसक हमला, (ज) आतंकवादी कार्य/ हमला (झ) पर चला, () अतिचार(ट) आत्महत्या, (ठ) अन्य) :

3. पुलिस स्टेशन की एफआईआर नंबर और पता जहां एफआईआर दर्ज की गई है :

4. मेडिकल रिपोर्ट, यदि उपलब्ध हो :

5. पहले सूचना देने वाले का नाम, पता और जनकता :

6. घटना स्थल पर पहले पहुंचने वाले रेलवे कर्मचारियों के नाम और पदनाम :

7. गाड़ी में फोर्स/पुलिस के लिए अधिकारी का नाम और पदनाम:

8. पीड़िता का नाम, उम्र, लिंग और पता:

9. उस स्थान पर फोटो जहां पीड़ित पाया गया था:

10. गाड़ी का नाम और नंबर शामिल:

11. प्रश्न में गाड़ी के आगमन और प्रस्थान का वास्तविक समय (घटना के स्थान के निकटतम स्टेशन के टीएसआर के अनुसार):

12. स्टेशन डायरी की प्रमाणित प्रतियाँ, इसमें अनपेक्षित दुर्घटना रजिस्टर, टीएसआर, जीडीआर रिपोर्ट आदि:

13. जिस किलोमीटर पर यात्री गिर गया, या व्यक्ति को नीचे गिरा दिया गया था:

14. गार्ड/चालक/टीटीई द्वारा घटना हुई थी और गाड़ी रुक गई थी, या रोकने के लिए अलार्म चेन खींची गई थी रेलगाड़ी :

15. घायलों के प्रकार की चोटें अर्थात गंभीर/सरल, स्थायी/आंशिक विकलांगता:

16.वह समय और स्थान जब और जहां शव का पता लगाया गया था:

17. रेलपथ के संबंध में शरीर की स्थिति:

18. गिट्टी या इंजन पर रक्त के धब्बे, क्षतियों की सीमा और क्या प्रथम द्रष्ट्या गाड़ी द्वारा भेजी गई है, या अन्यथा:

19. रेल के पास या उसके निकट पाई गई किसी भी कपड़ों आदि की स्थिति,:

20. पीड़ित के शरीर से जब्त किए गए लेखों का विवरण, टिकट सहित,:

21. क्या टिकट की वास्तविकता को कनसोल से सत्यापित किया गया है:

22. क्या टिकट कथित रूप से बरामद हुआ है, इसके जारी होने के समय के साथ और जहाँ पीड़ित को पाया गया था :

23. घायल या मृत व्यक्ति को कैसे निपटा गया (क्या घायलों को चिकित्सा सहायता दी गई थी; क्या वह किसी भी अस्पताल में भर्ती हुआ था ; क्या मृत व्यक्ति की पहचान की गई थी, क्या पोस्टमार्टम किया गया था; जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई थी; घायल/मृतक के परिजनों को सूचित किया गया था

24. यदि बालक है, उस समय उसके संरक्षक का नाम और पता, और बालक से उसकी नातेदारी बताए

25. घायल व्यक्ति का संक्षिप्त विवरण जिसमे दुर्घटना का कारण भी हो:

26. यात्री का नाम और हस्ताक्षर जिसकी उपस्थिति में कथन अभिलिखित किया गया है:

27. बालक की दशा में, संरक्षक का नाम और हस्ताक्षर;

28. सह यात्रियों का कथन:

29. सुसंगत कोच के दरवाजे की स्थिति:

30. यदि घटना के कारण के बारे में कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं है, तो "गिर गया" लिखने के स्थान पर सेना के अधिकारी को "कारणों का पता नहीं" लिखना चाहिए :

31. कोई अन्य टिप्पणी / टिप्पणी:

तारीख ; हस्ताक्षर नाम और पदनाम

[फा.सं. 2019 / टीसी- III / 26/1]

विवेक श्रीवास्तव, कार्यकारी निदेशक (लोक शिकायत)

IndiaCode

स्पष्टीकारक ज्ञापन

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के एफएओ 22/2015 में विनिश्चय और सीएम आवेदन 4501/2015 तारीख 6 नवंबर 2019 गीता देवी बनाम भारत संघ के संदर्भ में 1 जनवरी 2020 से रेल यात्री (अनपेक्षित घटना के अन्वेषण की रीति) नियम, 2020 का भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करती है । उक्त नियम के भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करने से किसी व्यक्ति के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi the 3rd, June 2020

G.S.R. 346(E).—In exercise of Powers conferred by Section 129 of the Railways Act,1989 (24 of 1989) and in supersession of the Railway Passengers (Manner of Investigation of Untoward Incidents) Rules, 2003 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called Railway Passengers (Manner of Investigation of Untoward Incidents) Rules, 2020.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2020.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) 'Act' means the Railways Act, 1989 (24 of 1989) ;

(b) 'Claims Tribunal' means Tribunal constituted under the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987);

(c) 'Diary' means the station diary being maintained by the Station Superintendent for recording daily events happened at the station;

(d) 'Divisional Office' means the Divisional Headquarter of the Zonal Railway;

(e) 'Divisional Railway Manager' means the administrative in-charge of the divisional office or the Additional Divisional Railway Manager nominated by him ;

(f) 'Divisional Security Commissioner' means an officer, not below the rank of a Commandant, who is the head of the Force of a Division or a Railway Establishment at any other place connected with the Railways;

(g) 'Force' means the Railway Protection Force;

(h) 'Form' means the form appended to these rules;

(i) 'Inquest Report' means the report prepared by the Police containing details of incident;

(j) *'Jama Talashi'* means the report about the recovery of any belongings of the person affected by the untoward incident;

(k) 'Officer of the Force' means the authorised officer as defined in clause (c) of section 2 of the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966 (29 of 1966) and clause (26A) of section 2 of the Railways Act, 1989 (2 of 1989);

(l) 'Police' means a State Police;

(m) 'Station Superintendent' includes Deputy Station Superintendent Station Master and Assistant Station Master or other officer being in-charge of the station;

(n) 'Untoward Incident' means an incident defined under clause (c) of section 123 of the Act; and

(o) 'Zonal Railway' means a Zonal Railway constituted under section 3 of the Act.

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the

meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Report about untoward incident.- Any railway servant, including member of the Force, Guard and Driver of the train, on coming to know of the occurrence of an untoward incident, shall report the incident immediately to the nearest Stations Master/ Station Superintendent of Railways.

4. Duties of Station Superintendent, Guard, Conductor and Train Ticket Examiner in – charge of the train.- (1) If an untoward incident occurs at the station, the concerned Station Superintendent shall immediately arrange for medical assistance to the injured passengers and report such incident within twenty-four hours of the occurrence to the Divisional Security Commissioner in **FORM –I**.

(2) If an untoward incident occurs in the mid-section, the Guard of the concerned train shall inform the Station Superintendent of the nearest station who shall perform the duties referred to in sub-rule (1).

(3) In case the Guard is injured in an untoward incident, the Conductor of the concerned train shall inform the Station Superintendent of the nearest station who shall perform the duties referred to in sub-rule (1).

(4) In case both the Guard and the Conductor are injured in an untoward incident, the Train Ticket Examiner in-charge shall inform the Station Superintendent of the nearest station who shall perform the duties referred to in sub- rule (1).

(5) If an untoward incident occurs in mid-section, in the absence of officers mentioned in sub-rules (2), (3) and (4), the Station Superintendent, if it comes to his notice, shall perform the duties referred to in sub-rule (1).

5. Additional duties of Station Superintendent.-The Station Superintendent on receipt of an information about the occurrence of untoward incident under rule 3, shall, -

(i) Maintain a separate exclusive register for recording the untoward incidents

(a) Assign a unique identification number to each untoward incident and mention the untoward incident in the said register against this unique identification number.

(b) The untoward incident register should be closed at 23:59 hrs every day so that untoward incident happening thereafter can be added in the register against that day.

(ii) Make a brief report in respect of spot of the untoward incident and forward copies thereof to the Divisional Office, Zonal Railways, Police and Divisional Security Commissioner of the Force.

(iii) Submit a fortnightly status report of untoward incidents including compliance of rule 4 to Divisional Commercial Manager In-charge / Senior Divisional Commercial Manager.

6. Conducting of investigation and submission of report by the Force.- (1) On receipt of information under rule 5, an officer of the Force, shall carry out the investigation and shall-

(i) Obtain copies of the inquest report, post mortem report and *Jama Talashi* report from the Police investigating the incident;

(ii) Obtain a copy of the report specified under clause (ii) of rule 5;

(iii) Obtain information about the untoward incident in **Form - 2**;

(iv) Record statement of additional witnesses, if so required;

(v) Collect any other evidence required by the circumstances of the case;

(2) The officer of the Force shall complete the investigation within sixty days and submit a report to the authority specified under sub-rule (2) of rule 9.

7. Conducting of investigation and submission of report by the Police.- (1) The Police on receipt of information of an untoward incident from general public or any Railway servant including Station Superintendent, the Police shall immediately initiate investigation and prepare inquest report or injury report in accordance with the procedure laid down in Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(2) The Police upon reaching the scene of the untoward incident shall inform the nearest/concerned

Station Superintendent personally or over telephone or through SMS or any effective electronic means of its presence at the scene of the incident. The Police shall immediately take photographs of the incident along with dead body/victim at the spot along with the tracks/witness(es)/bystanders.

(3) After preparation of report, as mentioned in sub-rules (1) and (2), the Police shall immediately give clearance certificate for movement of trains from the site of incident so that minimum delay is caused in restoration of train movement.

(4) The Police shall prepare the Detailed Accident Report (DAR) and submit a copy of the same to Divisional Security Commissioner/ Sr. DSC within 60 days from the date of untoward incident for onward submission to Divisional Railway Manager.

(5) In the event of the Police failing to take photographs as stated under sub-rule (2) of rule 7 above, the concerned DCP shall examine why the photographs were not taken and whether any action is warranted for the lapse.

8. The injured and the next of kin of the deceased passenger shall submit all the relevant evidence before the Police and assist the Police/Force to complete investigation.

9. Forwarding of investigation report by the police and the Force.- (1) The Police on completion of the investigation shall forward the report thereof to the Magistrate as required under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(2) The officer of the Force shall forward the report prepared under sub-rule (2) of rule 6 to the Divisional Security Commissioner of Force.

(3) The Divisional Security Commissioner shall submit the report to Divisional Railway Manager within fifteen days of the receipt of report of investigation from officer of the Force.

(4) The Divisional Security Commissioner shall also ensure that a copy of Detailed Accident Report prepared by Police, in the format circulated by Ministry of Home Affairs (CS Division) vide their letter No. 24013/35/Misc./2017 CSR,.III dated 02.09.2019, is forwarded to the Divisional Railway Manager within 15 days of the receipt from the Police and after ascertaining the facts and verifying the genuineness of the facts of the case along with *Form – 2.*

10. Action on the Report by the Divisional Railway Manager. - (1) The Divisional Railway Manager, on receipt of the report, mentioned in sub-rule(3) of rule 9 shall examine the same within fifteen days.

(2) The Divisional Railway Manager, on receipt of the report, mentioned in sub-rule (3) of rule 9 shall examine the same within fifteen days. In case, the statutory time periods mentioned in the rules for filing of Form-1 and Form-2 have not been adhered to then Divisional Railway Manager shall call for explanation for delay from the concerned authorities.

(3) When, on examination, Divisional Railway Manager is satisfied that the investigation is complete, he shall pass an order accepting the said report.

(4) If the Divisional Railway Manager has reason to believe that some more inquiry is required in the matter, it shall refer the same back for investigation to the officer of the Force along with his observations for further investigation.

(5) On receipt of the reference under sub-rule 4, the officer of the Force shall investigate the matter further and submit the report immediately to the Divisional Railway Manager.

11. Communication of order.- Final orders passed on the report by the Divisional Railway Manager shall be communicated to the Station Superintendent who shall maintain the records and make necessary entries in the Station Diary to this effect.

12. Sending report to Claim Office.– (1) The investigation report along with acceptance of Divisional Railway Manager there on shall be sent within fifteen days to the administrative in-charge of the Claim office of the Zonal Railway where the incident has occurred.

(2) The administrative in-charge of Claim office of the Zonal Railway who has received the notice of the claim for that particular incident, shall arrange to collect the report from the Claim office of

Railway where the incidence has occurred, shall initially have the claim examined by presenting officer (Railway Claims Tribunal) and associated legal branch and on the basis of their submission, and recommendation of Divisional Railway Manager as provided under sub-rule (3) of Rule 10 and pass a speaking order, whether the claim is to be admitted or contested and shall submit the same to the concerned Bench of the Railway Claims Tribunal along with the Written Statement.

FORM -1

(Refer Rule 4)

REPORT OF UNTOWARD INCIDENT

1. Unique Identification Number of the Untoward Incidents:
2. Kilometer at which untoward incident occurred:
3. Name of Driver of the train with Headquarter:
4. Name of the Guard of the train with Headquarter:
5. Name of the Train Ticket Examiner of train, if posted, with Headquarter:
6. Nature of the untoward incident:
 (a) Accident fall
 (b) Bomb blast
 (c) Rioting
 (d) Shootout
 (e) Arson
 (f) Dacoity/Robbery
 (g) Violent attack
 (h) Terrorist act/attack
 (i) Run over/trespassing
 (j) Suicide
 (k) Others
7. Date and time of occurrence:
8. Position of the injured dead body in relation to the tracks along with photographs:
9. Whether medical help was given to the injured/victim:
10. Whether train stopped or not:

 Condition of doors and occupation of coach:

Signature

Name and designation

Date :

** For creating the Unique ID Number, the alphabetical and numerical code of station/ division/zone/year/month/incident serial number mentioned in the register can be written in a continuous manner.

For example: If the incident falls within the area of Kathgodam Station under Izzat Nagar division of N.E Railway and the incident happened in the month of October, 2017, the Unique ID will be as follows:

KGM/04305472/IZN/NER/2017/serial number.

IndiaCode

FORM -2

(Refer Rule 6)

BRIEF PARTICULARS OF UNTOWARD INCIDENT

1. Date and time of the untoward incident:
2. Nature of untoward incidents (please specify – (a) accidental fall, (b) bomb blast, (c) rioting, (d) shootout, (e) arson (f) dacoity/robbery, (g) violent attack, (h) terrorist act/ attack (i) run over, (j) tresspassing (k) suicide, (l) others):
3. FIR number and address of the Police Station where FIR is registered :
4. Medical report , if available:
5. Name, address and parentage of the first informant:
6. Name and designation of the Railway officials who reached the place of incident first:
7. Name and designation of the Officer for the Force/Police on the train:
8. Name, age, sex and address of the victim:
9. Photograph at the site where the victim was found:
10. Name and number of the train involved:
11. The actual time of arrival and departure of the train in question (As per TSR of the Station nearest to the place of incident):
12. Certified copies of station diary, untoward incident register, TSR, GDR report etc:
13. Kilometerage at which the passenger fell, or person was knocked down:
14. Was the incident noticed by the Guard /Driver/ TTE and and the train stopped, or was the alarm chain pulled to stop the train:
15. Type of injuries sustained by the injured i.e. grievous/simple, permanent/partial disablement:
16. Time and place the body was detected:
17. Position of the body in relation to the tracks:
18. Blood stains on ballast or engine, extent of the injuries and whether prima facie inflicted by a train, or otherwise:
19. Position of any clothing etc. found on, or near the rails:
20. Details of articles seized, including tickets, from the body of the victim:
21. Whether genuineness of the ticket is verified from the console:
22. Whether the ticket alleged to have been recovered is compatible with time of its issuance and where the victim was found:
23. How the injured or dead person was dealt with (whether medical help was given to the injured; whether he was admitted to any hospital; was the dead person identified; was post mortem carried out; was inquest report obtained; were the relatives of the injured/dead informed):
24. If child, also give the name and address of the guardian at the time, and his relationship to the child:
25. Brief statement of the injured person containing cause of accident:
26. Name and signature of the passenger in whose presence the statement is recorded:
27. In the case of a child, the name and signature of guardian:
28. Statement of co-passengers:

IndiaCode

29. Condition of the doors of the relevant coach:

30. If there is no conclusive evidence regarding cause of incident, then Officer of Force instead of writing "fallen down", should state " reasons not known":

31. Any other comments/remarks:

Signature Name and Designation

Date: [F.No. 2019/TC-III/26/1]

VIVEK SRIVASTAVA, Executive Director (Public Grievances)

Explanatory Memorandum

The Railway Passengers (Manner of Investigation of Untoward Incidents) Rules, 2020 given retrospective effect from 1st January 2020 in view of decision of Hon'ble High Court of Delhi in FAO 22/2015 and CM Application 4501/2015 in Geeta Devi V. Union of India dated 6th November 2019. By giving retrospective effect to the said rules no person's interest will adversely be affected.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.06.04 21:24:29 +05'30'